

पंजीकृत/रजिस्टर्ड

संख्या-अंश 1108/15-7-161481/1998

प्रिय,

श्री जगदीश मांझी,
संयुक्त राज्य,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 संयुक्त राज्य,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 29 जून, 1999

विषय:- केन्द्रीय संयुक्त राज्य केन्द्र सनिकवा रोड, केन्द्रीय पुरम कानपुर को सी०बी०
एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र कलने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय संयुक्त राज्य
केन्द्र सनिकवा रोड केन्द्रीय पुरम कानपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों
के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताघटों का समस्त सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस पुस्तकालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मुल्य से अधिक मुल्य नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिले अर दि प्रणियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैस्टिगेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भरतों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आतासीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा तम्र तम्र पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रश्न/संख्याओं में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिसर/संगोष्ण या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

111 विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए ईपीओएफ योजना लागू की जाय ।

121 छात्र/छात्राओं के प्रवेश शुल्क वार्षिक किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा

महोदय,

श्रीमती
संयुक्त सचिव ।

पुस्तक क्रम 1108111/15-7-1999 तद्विनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर ।
- 4- निरीक्षक, जॉन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, डेअररु एजुकेशनल सेन्टर सनिगावा रोड डेअररु पुरम कानपुर ।

आशा है,

Law

श्रीमती
संयुक्त सचिव ।